फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम राज-सरकार।

नाम न्यायालय ACEM(CF-1) शाहपुरा

केस संख्या 238/16 जा.प.व

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/6/17	पत्रावली आज राजस्व बोर्ड अदालत श्रीमान आपके द्वारा कम्पलगत कुरसी पेश हुई, वकील पार्टी द्वारा अपने ज.प.व में आ.ख.न. 762/1-77 के मामले शिवसिंह पुत्र पदमसिंह जाति राजपूत, काश्तकार की पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। फर्द के साथ ~~संलग्न~~ ख.न. 67 मि. व 67/1 मि. रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा बचा है कुल रकबा 2.08 हे. था। पार्टी आज भी सम्पूर्ण रकबे पर काबिज काश्त है। एक प्रबंध विभाग ने एक प्रबंधन के रूप में आदेशस्त उक्त आराजी खसरा ख.न. 67 मि. 67/1 मि. रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा घटा 165 बिस्वा का गैर ख.न. 762 बगैर समय रंकण की गलती का मतलब से कुल रकबा 2.08725 हे. 3 बीघे के स्थान पर 1.77 हे. दर्ज कर दिया जो कि सच्च गलत है एवं काबिले दुरुस्ती योग्य है। फर्द में श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील सं. 112/87 अपने विपक्षी B-22/5/79 उनवान भागरथमल वगैरा बनाम सरकार में अपने निर्णय में भी सिवदगस्त आराजी खसरा ख.न. 762/1-77 के रकबे के स्थान पर 2.08725 हे. दर्ज करने के आदेश तहसीलदार के नाम जारी किए गए। एक प्रकार कर्मचारियों की गलती को दुरुस्त करने व ज.प.व 136 L.R.A.Act 1956 संशोधन अधिनियम 1977 के स्थान पर 2.08725 हे. किया जावे।	

फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम राज-सरकार

न्यायालय ACEM(CF-1) शाहपुरा

केस संख्या 238/16 जा.प.व 136 L.R.A.Act

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	6/6/17	हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अतः निर्णय डिक्री का अवलोकन किया। आ.ख.न. 762/1-77 हे. वाले शिवसिंह पुत्र के सम्बन्ध में पार्टी उनवानी एकमात्र अपील न. 112/87 भागरथमल बनाम सरकार के निर्णय B-22/5/79 को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के द्वारा डिक्री किया जा चुका है। पार्टी उनवानी एकमात्र प्रकरण भागरथमल बनाम सरकार के निर्णय डिक्री के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं। अतः ज.प.व 136 L.R.A.Act खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ कोर्ट रजिस्टर में आवे।	

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला-जयपुर (राज.)